



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 03.07.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 128/2025 धारा 309(4) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (01 घायलावस्था) को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पौनिया .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस तथा लूटा हुआ एक ई-रिक्शा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.05.2025 को थाना दोघट पर वादी श्री अमर सिंह पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम बसाना थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ने सूचना दी कि दिनांक 13.05.2025 को तवेलागढी – गैंडबरा जंगल में अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा उसका ई-रिक्शा नं0 UP-12CT-3725 चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 128/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 303(2) बीएनएस का विलोपन कर धारा 309(4) बीएनएस की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 128/2025 धारा 309(4) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त आसिफ घायल हुआ है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पौनिया .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा लूटा हुआ ई-रिक्शा नं0 UP-12CT-3725 बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आसिफ पुत्र उमर दीन निवासी ग्राम सरधना थाना सरधना जनपद मेरठ (घायल)
- 2-गुलफाम पुत्र शौकीन निवासी ग्राम मिलाना थाना दोघट जनपद।
- 3-मुस्कुरान पुत्र शौकीन निवासी ग्राम मिलाना थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तारी का स्थान-

दिनांक 03.07-2025 समय करीब 04.30 बजे थाना दोघट धनौरी टीकरी तिराहा वहद ग्राम तमेलगाढी से गिरफ्तार किया गया है।

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पौनिया .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।
- लूटा हुआ ई-रिक्शा नं0 UP-12CT-3725

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-श्री बच्चू सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-व0उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री सौम्य कृष्णात्रेय थाना दोघट जनपद बागपत।
- 5-है0का0 144 विनय कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 6-है0का0 407 संदीप कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 7- का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक- 03.07.2025

थाना दोघट पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से खोज कर मोबाइल के स्वामी को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

थाना दोघट पर आवेदक द्वारा मोबाइल के गुम होने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यवाही करते हुए थाना दोघट पुलिस द्वारा मोबाइल फोन को CIER PORTAL के माध्यम से खोज कर उसके स्वामी को सुपुर्द किया गया । मोबाइल स्वामी द्वारा थाना दोघट पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी।



मोबाइल मालिक का विवरण-

विपुल तोमर पुत्र नरोत्तम सिंह निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 03.07.2025

**थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 174/25 धारा 109/352 बीएनएस में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.06.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री अंशुल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. पारस, 2. प्रथम निवासीगण ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा उसके ऊपर फायर किया गया, जिससे वह बाल-बाल बचा व उसके साथ गाली-गलौच की गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 174/25 धारा 109/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 174/25 धारा 109/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रथम मलिक पुत्र राजीव मलिक निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 351 पवन नागर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 134 विकास थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 03.07.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 227/25 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 227/25 धारा 137(2)/64(1)



बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सतवीर उर्फ शकील पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम खेडा हटाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 आरिफ अली थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 03.07.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली

अहीर पर मु0अ0सं0 238/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे एवं लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन ना किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित पुत्र जयपाल निवासी ग्राम मतानतनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० अमरदीप थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 546 विपिन सिरौही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 429 सिंहराज नागर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-का० 552 नीरज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 02.07.2025

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- कुलदीप पुत्र सतपाल निवासी ग्राम खपराना थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- दिलशाद पुत्र जहीर अहमद निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3- गौरव पुत्र रविन्द्र निवासी विजय पार्क थाना भजनपुरा दिल्ली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना बिनौली पुलिस टीम । (02 वारंटी)
- 2-थाना चांदीनगर पुलिस टीम । (01 वारंटी)